परशुराम पांडे और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

14 अक्टूबर 2004

(पी. वेंकटरामा रेडी और प्रकाश प्रभाकर नौलेकर, न्यायाधिपतिगण)

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 302, 307, 148, 149, 324, 34-आयुध अधिनियम-धारा 27-अपीलकर्ता द्वारा हमला-एक की मृत्यु व अन्यों को चोट पहुंचाना- सामान्य उद्देश्य या इरादा हत्या करने का नहीं था- कोई विशेष आग्नेयास्त्र चोट नहीं- अभिनिर्धारित- सभी अभियुक्तगण ने हत्या का इरादा साझा नहीं किया था- इरादा केवल अन्य को चोट पहुंचाने का था-अभियुक्त को धारा 302 के साथ धारा 149 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन धारा 324 के साथ में धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता-धारा 313-अभियुक्त का अभिकथन लेखबद्ध करना-अभिनिर्धारित- न्यायालय द्वारा अभियुक्त का कथन अनियमित, अपूर्ण दर्ज करने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

आरोपी/अपीलकर्ताओं पर दो अन्य आरोपी व्यक्तियों, धर्म राज पांडे और श्रद्धा राम के साथ अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। रघुनाथ पांडे-अभियुक्त/अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास आदि की सजा दी गई है। आरोपी/अपीलकर्ता परश्राम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे के अन्य आरोपीयों को (गैर-अपीलकर्ता) के साथ दोषी ठहराया गया है और राजेन्द्र द्साद, हृदय शंकर राय, शंपु कुमार सिंह, मथुरा सिंह और राजेश सिंह की हत्या के प्रयास के लिए धारा-307 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत एक साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। पीडब्लू-6, वीरेन्द्र पांडे और सोमारू पांडे ने 1989 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें बताया गया था कि वह पीडब्लू 5 और कन्हैया पांडे (मृतक) के साथ अपने खेत में खड़े थे, जब उनके खेत में भैंस के चरने के कारण आरोपियों द्वारा हाथपाई की गई थी। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने पीडब्लू 3, पीडब्लू 4, पीडब्लू 5, पीडब्लू 6 के बयान पर भरोसा करते ह्ये आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया। दुर्घटनावश गोली चलने की बचाव पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई।

इससे पहले अदालत में अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की उचित सराहना के बाद, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 को घटना के समय उपस्थित नहीं माना जा सकता है।

1- घटना के समय घटनास्थल पर पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 चश्मदीद होने का दावा करते है। लेकिन पीडब्लू 6 द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गयी एफआईआर में यह पता चला है कि वह शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। एफआईआर के अनुसार यह दोनों गवाह फायर शॉट्स और परिवार के सदस्यों का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे थे। पीडब्लू 5 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि आरोपी के भाग जाने के बाद उसके परिवार के सदस्य आये थे। पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 आरोपी व्यक्तियों के भाग जाने के बाद मौके पर पहुंचे, पीडब्लू 3 ने स्वीकार किया कि उसने 'हलंला सुनने के दो चार मिनट बाद आरोपी व्यक्तियों का पीछा किया था, बयान से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह तुरंत नही गया था। बल्कि हल्ला सुनने के दो चार मिनट बाद उसने अपना घर छोड़ा था। गवाह के बयान से साफ पता चलता है कि वह घटनास्थल पर घटना खत्म होने के बाद पहुंचा था। पीडब्लू 4 और पीडब्लू 3 के बयान पीडब्लू 5 के साथ पढ़ने से और एफआईआर में दर्ज घटना के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नही है कि उक्त सभी गवाह चश्मदीद गवाह नही थे और उन्होंने घटना को घटित होते नही देखा है। अभियोजन पक्ष के द्वारा घटना की शुरूआत होने बाबत जो तथ्य बताये गये हैं, वे प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों में विश्वसनीय नहीं हैं। क्योंकि जब पीडब्लू 5 खेत में खड़ा था तो आरोपीगण के लिए अपनी भैंस को चराने के लिए खेत में ले जाना असंभव था, जांच अधिकारी को खेत में जानवर के पैरों के कोई निशान नही मिले और इसलिए घटना की पूरी उत्पत्ति झूठी है और इसलिए अभियोजन पक्ष पर विश्वास नही किया जा सकता, और उन्हें ग्रामीणों को चोट पहुंचाने के लिए धारा 307

के तहत गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है और इसी प्रकार आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत की गई दोषसिद्धि भी अभियोजन पक्ष द्वारा दिये गये सबूतों के अनुरूप नहीं है और इसी प्रकार अभियुक्तगण के बयान धारा 313 सीआरपीसी सत्र न्यायालय द्वारा अत्यंत सतही, आकस्मिक और लापरवाह तरीके से दर्ज किये गये हैं क्योंकि यह राज्य की अदालतों में अपनाये जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया के तहत लेखबद्ध किये गये हैं जो कि विधि अनुरूप नहीं हैं, इसलिए आरोपी अपीलकर्ता लाभ के हकदार है क्योंकि उन्हें उनके खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य में मौजूद परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए पर्यास अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अपीलार्थी पक्ष को अनुमति दी गई।

1. आईपीसी की धारा 149 के आधार पर अपराध के समय विधि विरूद्ध समाज का प्रत्येक सदस्य गैर कानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किये गये अपराध का दोषी है। यह धारा उस सभा के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किये गये गैर कानूनी कृत्यों के लिए गैर कानूनी सभा के सदस्यों की रचनात्मक या परोक्ष जिम्मेदारी बनाती है।

आईपीसी की धारा 149 के आधार पर अपराध के समय गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी सदस्य द्वारा किये गये अपराध का दोषी है। यह धारा उस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किये गये गैर-कानूनी कृत्यों के लिए गैर-कानूनी सभा के सदस्यों की रचनात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक देनदारी बनाती है। धारा 149 के तहत रचनात्मक अपराध का आधार महज एक गैर-कानूनी सभा की सदस्यता है। धारा 149 के तहत एक मामले में यदि अभियुक्त गैर-कानूनी सभा का सदस्य है जिसका सामान्य उद्देश्य एक निश्चित अपराध करना है और यदि वह अपराध उस सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो सदस्य होता है उस सभा का सदस्य होने के कारण वह उस आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि उसने वास्तव मे वह कार्य किया है या नही। आईपीसी की धारा 149 को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध का कमीशन गैर-कानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा किया गया था और ऐसा अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया होगा या ऐसा होना चाहिए कि सभा के सदस्य सभा को पता था कि यह प्रतिबद्ध होने की संभावना है। जब तक अभियोजन पक्ष इन तीन तत्वों से संतुष्ट नही होता तब तक आरोपी को धारा की सहायता से दोषी नही ठहराया जा सकता।

2. यह निर्धारित करना मुश्किल है जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने माना है कि अभियुक्तगण परशुराम, बिश्राम, सोमारू पांडे द्वारा कन्हैया पांडे की हत्या का अपराध करने के सामान्य उद्देश्य से गैरकानूनी सभा का गठन किया गया है। वास्तव में सोमारू पांडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि उसने अपीलकर्ता/अभियुक्त रघुनाथ पांडे को कन्हैया पांडे पर गोली चलाने के लिए उकसाया था, जिस पर मामले की परिस्थितियों में विश्वास करना मुश्किल है। हालांकि पीडब्लू 5 और 6 ने बताया कि उसने और श्रद्धाराम ने उन पर भाले फेंके और उसके कुछ हिस्से से पीडब्लू 5 घायल हो गया, लेकिन ऐसी कोई चोट साबित नहीं हुई। पीडब्लू 5 ने डॉक्टर से जांच कराने से इंकार कर दिया। अभियुक्त/अपीलकर्ता परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे को धारा-302 सपठित धारा-149 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। {486-सी-ई}

3. किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि चोट पहुचाने वाले आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किसी विशेष अभियुक्त द्वारा उन्हें चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। दरअसल घायलों ने किसी भी आरोपी को आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते नहीं देखा है। उक्त दोनों आरोपियों ने कितनी दूर से फायरिंग की, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है, अभियोजन पक्ष की ओर से एक मात्र सबूत यह पेश किया कि पी ओर बी ने अंधाधूंध गोलीबारी की जिससे ग्रामीणों को साधारण चोटें आई। घायल ग्रामीणों में केवल पीडब्लू 1 और डीडब्लू 1 की ही जांच की गई, इस प्रकार यह साक्ष्य हत्या करने या उसके प्रति कोई कार्य करने के लिए अभियुक्तगण के इरादे या ज्ञान का गठन नहीं करता है। साक्ष्य केवल यह दर्शाते है कि ग्रामीणों को साधारण चोटें आई है। इन परिस्थितियों में पी और बी को आईपीसी

की धारा 307 के तहत बरी कर दिया जाता है। {487-डी-ई}

4. केपी पर गोलियां चलाने के तुरंत बाद तीनों आरोपियों का सामान्य इरादा विकसित हुआ जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया।

शिकायतकर्ता पक्ष और आस-पास मौजूद अन्य ग्रामीणों द्वारा प्रतिशोध में किये जाने वाले हमले को रोकने और उन्हें घटनास्थल और आरोपी व्यक्तियों की ओर जाने से रोकने के लिये, घटनास्थल पर अपराध किये जाते समय एकाएक सामान्य उद्देश्य विकसित हुआ। तीनों आरोपियों का कृत्य गोली चलाने और भाला फेंकना उन सभी के समान आशय के अग्रसरण में किया गया था। जब खुले स्थान पर आग्नेयास्त्रों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, तो यह माना जा सकता है कि हमलावरों को पता था कि हथियार के ऐसे प्रयोग के परिणाम से व्यक्तियों को शारीरिक चोट लगने की बहुत अधिक संभावना होगी और जब ऐसी चोटें व्यक्तियों को लगती हैं, तो यह किए गए हमले का वास्तविक परिणाम है और कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उस चोट के लिए दोषी होगा, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि क्या अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया हो कि कोई विशेष चोट किसी विशेष आरोपी व्यक्ति द्वारा पहूंचाई गई थी या नहीं। ग्रामीणों को आग्नेयास्त्र से पहुंचाई गई चोट, हालांकि साधारण प्रकृति की है, तीनों आरोपी व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पहूंचाई गई

है। इसलिए, हम अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे को आईपीसी की धारा 324 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध के दोषी हैं। {488-बी-ई}

- 5. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तगण के कथन दर्ज करना अदालत के लिये अनिवार्य है, तािक अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोजन द्वारा सािबत की गयी किसी भी आपितजनक परिस्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके। न्यायालय पर सींपी गई जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान की अनुचित रिकॉर्डिंग के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया गया है। वर्तमान मामले में आरोपी/अपीलकर्ता सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किये गये अनियमित, अपूर्ण बयान के कारण आरोपी/अपीलकर्ता पर होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह का उल्लेख नहीं कर सके। ऐसा होने पर, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने में हुई कमी के कारण आरोपी किसी भी लाभ के हकदार नहीं है। {489-ए-सी}
- 6. इन दोनो गवाहो के साक्ष्य विश्वसनीय व ठोस है, सिवाय इस हद तक कि घटना की उत्पत्ति को समझाने मे कुछ अलंकरण किये गये थे। इन दोनों चश्मदीद गवाहों की गवाही चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुरूप है और घटना के वास्तविक रूप से घटित होने के संबंध में और आग्नेयास्त्र

के उपयोग से रघुनाथ पांडे से कन्हैया पांडे को हुई क्षिति के बारे में संदेह पैदा नहीं करता है। केपी की मौत के लिये आरोपी को दोषी ठहराने हेतु इन दो गवाहों के बयान पर भरोसा करने में निचली अदालतों के निष्कर्ष में कोई स्थिरता नहीं है। अभियुक्त/अपीलकर्ता रघुनाथ की अपील खारिज की जाती है और उसकी सजा बरकरार रखी जाती है। अभियुक्तो/अपीलकर्ताओं परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे की अपील स्वीकार की जाती है और धारा 302 के साथ धारा 149 आईपीसी और धारा 148 के तहत उनकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है।

अभियुक्तो/अपीलकर्ताओं परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। धारा 307 आईपीसी के तहत उनकी दोषसिद्धि और 5 साल की सजा को अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे को आईपीसी की धारा 324 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाता है और 3 साल का कठोर कारावास की सजा सुनायी जाती है। आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे की सजा बरकरार रखी गई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेगी। {483-जी-एच, 484-ए, 489-डी-एफ}

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 431/1999 पटना उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील नं॰ 142/1992 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 07.08.1998 से

साथ में

द्वितीय आपराधिक अपील नं॰ 1199/2004 अपीलकर्ताओं की ओर से आर.के.जैन, अखिलेश कुमार पांडे, अजय भल्ला, अशोक कुमार पांडे और श्रीमती रंजना नारायण (एसी) उनके साथ थे।

प्रत्यर्थी की ओर से एच.एल अग्रवाल, कुमार राजेश सिंह और बी.बी सिंह थे।

न्यायालय का निर्णय पी.पी. नाओलेकर, जे. द्वारा सुनाया गया। एस.एल.पी मे अनुमति दी गई

(सीआरएल) की संख्या 2238/ 2004

ये दोनों अपीलें एक ही घटना से उत्पन्न हुई है जिसके लिए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनायी गई है। आरोपी/अपीलकर्ताओं पर अन्य आरोपी व्यक्तियों, धर्मराज पांडे और श्रद्धाराम के साथ अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। रघुनाथ पांडे-अभियुक्त/अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई। इसके अतिरिक्त उसे आईपीसी की धारा 148 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत

दोषसिद्धि कर 2 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। आरोपी/अपीलकर्ता परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे को अन्य आरोपियों (गैर अपीलकर्ता) सिहत धारा 302 सपिठत धारा 149 भा.द.सं. के तहत दोषी करार देकर आजीवन कारावास तथा 148 भाद.सं. के तहत 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण परशुराम पांडे, विश्राम पांडे को धर्मराज पांडे (गैर अपीलार्थी) के सिहत धारा 307 भा.द.सं. के तहत राजेन्द्र दुसाद, हृदय शंकर राय, शंपु कुमार सिंह मथुरा सिंह और राजेश सिंह की हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 24 दिसम्बर 1989 को दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम बुरहैला में सूचनाकर्ता-पीडब्लू 6, वीरेन्द्र पांडे द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें बताया गया था कि वह भरत पांडे पीडब्लू 5 और कन्हैया पांडे (मृतक) के साथ अपने खेत मे खड़े थे। अपीलकर्ता-रघुनाथ पांडे अपनी भैंस को नहर मे नहलाकर वीरेन्द्र पांडे के खेत के पास पहुंचे और खेत मे लगी तौरई की फसल को चराने के लिए भैंस को हांक दिया। वीरेन्द्र पांडे ने इसका विरोध किया ,जिस पर रघुनाथ पांडे ने उनके साथ गाली-गलौच की, जिसका विरोध कन्हैया पांडे (मृतक) ने किया। इस पर रघुनाथ पांडे अपने आवास पर गये और अन्य

आरोपियों के साथ हथियारों से लैस होकर वापस आये। रघुनाथ पांडे राइफल से लैस थे और अन्य आरोपी, परशुराम पांडे और बिश्राम पांडे बंदूक से लैस थे और सोमारू पांडे भाले से लैस थे। सोमारू पांडे और श्रद्धाराम के उकसाने पर खेत मे घुसते ही रघुनाथ पांडे ने अपनी राइफल से चार गोलियां चलाई। दो गोलियां कन्हैया राम (मृतक) को लगी जो घायल होकर गिर पड़े। इस के बाद अपीलार्थी परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे सहित अन्य आरोपियों ने अपनी बंदूकों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे ग्रामीण घायल हो गये। अपीलकर्ता सोमारू पांडे ने वीरेन्द्र पांडे व भरत पांडे की ओर भाला फेंका, जिससे भाले के लाठी वाले हिस्से से भरत पांडे घायल हो गया। सुरेन्द्र पांडे और अन्य कथित चश्मदीद (पीडब्लू 3) और राम इकबाल पांडे (पीडब्लू 4) घटनास्थल पर पहुंचे और घटना को देखा। अभियुक्त/अपीलकर्ता भागने में सफल रहे। कन्हैया पांडे को नाना नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया।

शव परीक्षण (पीडब्लू 7) डॉक्टर परमानंद राय द्वारा किया गया था और उन्होंने उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई।

- 1. उपरी छाती की बायीं ओर, छाती के बगल वाले भाग पर 3.5"× 2.5" उबड़ खाबड और काले निशान के साथ फटा हुआ घाव।
 - 2. उपरी छाती के मध्य भाग, छाती के बगल वाले

भाग पर 4"×3" मांसपेशी की गहराई में काले किनारे वाला फटा हुआ घाव।

- 3. फटा हुआ घाव 4"×3" हड्डी तक गहरा और किनारे मुड़े हुए, उपरी बायें हाथ पर चोट संख्या 2 के समान स्तर पर है।
- 4. बायीं बांह के पार्श्व भाग पर 5"×3.5" हड्डी की गहराई तक क्षत-विक्षत घाव। यह गोली बाहर निकलने का घाव है।

पोस्टमार्ट रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर पाए गए घावों में छाती के बाईं ओर निपल के स्तर के ठीक उपर 3.5"×2.5" का फटा हुआ घाव है और 4×3 उपरी छाती के मध्य भाग और छाती के बगल के हिस्से में मांसपेशी की गहराई तक प्रवेश का घाव और उपरी बाईं भुजा पर निकलने का घाव है। चोट नं. 1 और चोट नं. 2 एक ही गोली से नहीं लग सकती है जो निश्चित रूप से 2 गोलियों से कारित हुई है।

आंतरिक परिक्षण में निम्निलिखित चोटें पाई गई:- बायीं बगल की रक्त वाहिका बुरी तरह क्षितिग्रस्त हो गयी थी और उपरी बांह बुरी तरह क्षितिग्रस्त और फ्रेक्चर हो गई। फ्रेक्चर गम्भीर प्रकृति का है।

डॉ. की राय के अनुसार मौत का कारण रक्तस्राव और फायर आर्म के कारण लगा सदमा था। डॉ. एस. के. सिहं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उन्हें काले किनारे का कटा हुआ घाव मिला है, जिससे पता चलता है कि गोलीबारी नजदीक से की गई थी। अन्य घायल व्यक्तियों अर्थात हृदय शंकर राय, शंपु कुमार सिंह, राजेश सिंह, मथुरा सिंह की जांच 24.12.1989 को डॉ. शिवा नन्द प्रसाद (पीडब्लू 8) द्वारा की गई थी और उन्होंने राय दी थी कि इन व्यक्तियों को लगी चोटें साधारण थी और संदिग्ध बंदूक की गोली से कारित हुई थी। अभियोजन पक्ष ने मात्र एक घायल गवाह, राजेश सिंह को परीक्षित करवाया है, जबिक बचाव पक्ष ने शंपु कुमार सिंह, डीडब्लू 2 को परीक्षित करवाया है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पीडब्लू 3 सुरेन्द्र पांडे, पीडब्लू 4 राम इकबाल पांडे, पीडब्लू 5 भरत पांडे, पीडब्लू 6 बीरेन्द्र पांडे के बयान पर भरोसा करते हुये आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया। दुर्घटनावश गोली चलने की बचाव पक्ष याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के उचित विवेचन के बाद, पीडब्लू 3 सुरेन्द्र पांडे और पीडब्लू 4 राम इकबाल को घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं माना जा सकता है। पीडब्लू 3 और 4 खुद को चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं लेकिन पीडब्लू 6 द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर से यह उजागर होता है कि सुरेन्द्र पांडे-पीडब्लू 3 और राम इकबाल पांडे-पीडब्लू 4 शोर सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे थे। एफआईआर में दर्ज है कि परिवार के सदस्यों और सह-ग्रामीण से फायरशोट्स और शोर

सुनकर, सुरेन्द्र पांडे और राम इकबाल पांडे (पीडब्लूएस 3 और 4) और कई अन्य लोग आये जिन्होंने घटना देखी थी और अभियुक्तगण को देखा था। इसलिए, एफआइआर के मुताबिक ये दोनों गवाह फायरशॉट्स और पिरवार के सदस्यों का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे थे। पीडब्लू 5 भरत पांडे ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि आरोपी के भाग जाने के बाद उसके पिरवार वाले आ गये, उसका भाई पीडब्लू 3 सुरेन्द्र पांडे और पिता राम इकबाल पांडे पीडब्लू 4 घटनास्थल पर पंहुचे तब तक आरोपी पहले ही भाग चुके थे।

पीडब्लू 3 ने गवाही दी है कि 24.12.1989 को दिन के समय लगभग 1:30 बजे वह अपने घर के बरामदे में था और उसने देखा कि आरोपी बंदूकों से लैस होकर दुसादी टोला की ओर जा रहे थे और उसने उनका पीछा किया। जिरह में उसने स्वीकार किया कि दो-चार मिनट तक हल्ला सुनने के बाद वह आरोपियों के पीछे गया था। बयान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसने आरोपी व्यक्तियों का पीछा नही किया था। बल्कि हल्ला सुनने के दो-चार मिनट बाद वह अपने घर से निकला था। हल्ला सुनकर वह घटनास्थल की ओर अग्रेषित हुआ था। इस प्रकार इस गवाह के बयान से साफ पता चलता है कि वह घटना घटित होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। पीडब्लू 4 ने गवाही दी है कि घटना के दिन वह अपने घर के दरवाजे पर था और उसने अभियुक्तों को दुसादी टोले की ओर जाते देखा था। उसका बेटा सुरेन्द्र पांडे-पीडब्लू 3 भी दरवाजे पर बैठा था। वह दोनोे

यह देखने के लिए आगे बढे कि यह लोग कहां जा रहे है। इस प्रकार पिता और पुत्र ने एक ही समय मे आरोपियों का पीछा किया और जो निश्चित रूप से घटना घटित होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे होंगे। इन गवाहों के बयान को पीडब्लू 5-भरत पांडे के बयान के साथ पढ़ने से और एफआईआर में दर्ज घटना के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि ये सभी गवाह प्रत्यक्षदर्शी नही थे और उन्होंने घटना को होते हुए नही देखा है। बाद में वह मौके पर पहुंचे।

इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के द्वारा घटना की शुरूआत होने बाबत जो तथ्य बताये गये हैं, वे प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों में विश्वसनीय नहीं हैं। वकील के अनुसार जब वीरेन्द्र पांडे, भरत पांडे और कन्हैया पांडे खेत में खड़े थे तो आरोपी रघुनाथ पांडे के लिए अपनी भैंस को चरने के लिये खेत में छोड़ना असंभव था। विशेष रूप से तब, जब जांच अधिकारी को खेत मे जानवर के पैरों के कोई निशान नहीं मिले और इसलिए घटना की पूरी उत्पत्ति झूठी है। अतः अभियोजन पर विश्वास नही किया जा सकता। यह सच हो सकता है कि रघुनाथ पांडे द्वारा जानबूझकर अपनी भैंस को खड़ी फसल चराने के लिए खेत में छोड़ देने का तथ्य बाबत अभियोजन पक्ष का मामला अतिश्योक्तिपूर्ण हो सकता है। यह भी हो सकता है कि भैंस खेत मे चली गई होगी और इस बात को लेकर रघुनाथ पांडे और मृतक कन्हैया पांडे, भरत पांडे और वीरेन्द्र पांडे के बीच तीखी बहस हुई होगी जिससे नाराज होकर रघुनाथ पांडे अपने घर गया और अपनी राइफल लेकर वापस आ गया, इसके बाद यह घटना घटी। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई अतिरंजित कहानी से पूरी घटना खत्म नहीं हो जाती, यह बात मौके पर मौजूद गवाहों ने साबित कर दी है। हो सकता है कि घटना कुछ अलग तरह से शुरू हुई हो, लेकिन अपराध के घटित होने का तथ्य, जब गवाहों द्वारा साबित कर दिया गया है तो अभियोजन पक्ष के मामले को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है।

पीडब्लू 6-बीरेंद्र पांडे, सूचनाकर्ता ने अपनी साक्ष्य में एफआईआर में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को वह भरत पांडे और कन्हैया पांडे के साथ खेत में था। रघुनाथ पांडे खेत के पास आये और तोरी की खड़ी फसल को चरने के लिए अपनी भैंस को सूचनाकर्ता के खेत में छोड़ दिया और जब उसने इसका विरोध किया तो रघुनाथ पांडे ने उसके साथ गाली-गलौच करना शुरू कर दिया और कन्हैया पांडे ने बीच-बचाव किया और रघुनाथ पांडे की हरकत का विरोध किया, जिस पर रघुनाथ अपने घर धमकी देते हुए चला गया और अन्य आरोपियों के साथ अपनी राइफल लेकर वापस आ गया, जो सभी आग्नेयास्त्रों से लैस थे। आगे यह भी कहा गया है कि सोमारू पांडे और श्रद्धा राम के उकसाने पर रघुनाथ पांडे ने अपनी राइफल से 4 गोलियां चलाई, जिसमें दो गोली कन्हैया पांडे को लगी और वह गिर पड़ा, इसके बाद धर्मराज पांडे, परशुराम

पांडे और बिश्राम पांडे ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे राजेश सिंह-पीडब्लू 1 और सोमारू पांडे-डीडब्लू 2 और अन्य ग्रामीण घायल हो गये। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता सोमारू पांडे और श्रद्धा राम ने भाला फेंका और भरत राम भाले के पिछले हिस्से से घायल हो गये। पीडब्लू 5-भरत पांडे ने पीडबलू 6- बीरेन्द्र पांडे के बयान की पृष्टी की जब उन्होने अदालत में कहा कि वह कन्हैया पांडे और बीरेन्द्र पांडे के साथ खेत में मौजूद थे, तब रघुनाथ पांडे वहां आया और अपनी भैंस को वीरेन्द्र पांडे के खेत में खड़ी तोरी की फसल चरने के लिए छोड़ दिया, जिसका बीरेन्द्र पांडे ने विरोध किया और रघुनाथ पांडे ने उसके साथ गाली-गलौच की। रघुनाथ पांडे की उक्त हरकत पर कन्हैया पांडे ने आपत्ति जताई, इसके बाद रघुनाथ पांडे अपने घर गया और अन्य आरोपियों के साथ बंद्क से लैस होकर और सोमारू पांडे, श्रद्धाराम भाले से लैस होकर वापस आये। खेत में पहँचते ही रघुनाथ पांडे ने अपनी राइफल से 4 गोलियां चलाईं, जिसमें से 2 गोलियां कन्हैया पांडे को लगी और वह गिर पड़ा, अन्य आरोपियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे ग्रामीण घायल हो गये। इन दोनों गवाहों के बयानों को नीचे की 2 अदालतों ने रघुनाथ पांडे द्वारा कन्हैया पांडे को आग्नेयास्त्र से घायल करने के संबंध में भरोसेमंद पाया है।

मृतक कन्हैया पांडे को लगी चोटों से इन दोनों गवाहों के घटना बाबत बयानों की पुष्टी होती है। साक्ष्यों पर विचार करने पर इन दोनों गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस हैं, सिवाय इस हद तक कि घटना की उत्पत्ति को समझाने में कुछ अलंकरण किये गये थे।

इन दोनों चश्मदीद गवाहों की गवाही चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुरूप है और घटना के वास्तविक रूप से घटित होने के संबंध में और आग्नेयास्त्र के उपयोग से रघुनाथ पांडे द्वारा कन्हैया पांडे को पहुंचाई गई चोटों के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं करती है। हमें कन्हैया पांडे की मौत के लिए रघुनाथ पांडे को दोषी ठहराने हेतु इन दो गवाहों के बयान पर भरोसा करने में नीचे दिये गये न्यायालयों के तर्क में कोई कमजोरी नहीं मिली।

अपीलकर्ताओं परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इन अपीलकर्ताओं को कन्हैया पांडे की मौत के लिए धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत दोषी नही ठहराया जा सकता है। इसके अलावा उन्हे ग्रामीणों को चोट पहुंचाने के लिए धारा 307 के तहत गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है और आयुध अधिनियम की धारा 27 की तहत उनकी दोषसिद्धि अभियोजन पक्ष के सबूतों के अनुरूप नहीं है।

साक्ष्य में आया है कि पीडब्लू-5 भरत पांडे, पीडब्लू-6 वीरेन्द्र पांडे, मृतक कन्हैया पांडे के पास खड़े थे। परशुराम पांडे और बिश्राम पांडे के पास आग्नेयास्त्र थे, जबिक सोमारू पांडे के पास भाला था। घटना कुछ ही समय के अंदर हुई है। गवाहो ने कहा कि आरोपी खेत मे घुसे और उसके तुंरत बाद रघुनाथ पांडे ने मृतक कन्हैया पांडे पर 4 गोलियां चला दीं। कन्हैया

पांडे को 2 गोली लगी और वह गिर पड़े, इसके बाद परशुराम पांडे और बिश्राम पांडे ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। सोमारू पांडे ने भरत पांडे पर भाला फेंका था। अभियोजन साक्ष्य में यह भी आया है कि तीखी नोकझोंक के बाद कुछ ही मिनट में रघुनाथ पांडे अपने घर से राइफल से लैस होकर अन्य अभियुक्तों के साथ खेत में आया। साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि भरत पांडे या वीरेन्द्र पांडे में से किसी को भी आग्नेयास्त्र से कोई चोट नहीं आई है। प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा यह नही कहा गया है कि परशुराम पांडे या बिश्राम पांडे ने अपने आग्नेयास्त्रों से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए मृतक कन्हैया पांडे को निशाना बनाया था और न ही रिकॉर्ड पर कोई सबूत है कि भरत पांडे, वीरेन्द्र पांडे जो मृतक के पास खड़े थे, आग्नेयास्त्र से उनको कोई चोट आई हो। पीडब्लू-1 राजेश सिंह ने गवाही दी है कि 24.12.1989 को दोपहर 1:30 बजें वह गांव के एक मथुरा चाचा के यहां जा रहा था। जब वह वीरेन्द्र पांडे के खेत के किनारे से गुजर रहा था, तो अचानक उसे 4-5 फायरिंग की आवाज स्नायी दी और साथ ही उसे गोली का छर्रा लग गया। उसने यह नहीं बताया है कि किस आरोपी व्यक्ति द्वारा उस पर गोली चलाने से उसे चोटें आई हैं, असल में उसने बंदूकों से फायरिंग होते ह्ए नही देखी है। यह ऐसा गवाह है जो वीरेन्द्र के खेत के किनारे से जा रहा था और आग्नेयास्त्र से घायल हो गया। उसने 4-5 फायरिंग की आवाज ही सुनी है। इस प्रकार इस गवाह ने यह नहीं बताया कि उसे चोटें परश्राम, बिश्राम या सोमारू के हाथों लगी हैै। डीडब्लू-2 शंप् कुमार सिंह जो कि बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित करवाया गया है, आग्नेयास्त्र से घायल हुआ था, ने किसी भी आरोपी व्यक्ति का नाम अथवा वह व्यक्ति नहीं बताया है जिसके कारण घटना में उसे चोट कारित हुई थी। इस प्रकार रिकॉर्ड पर इस बात का कोई सबूत नही है कि ग्रामीणों को आग्नेयास्त्र से लगी चोटें आरोपी व्यक्तियों द्वारा साशय पहुंचाई गई थी।

रिकॉर्ड पर इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि किसी भी ग्रामीण (राहगीर) को परशुराम या बिश्राम द्वारा इस्तेमाल किये गये आग्नेयास्त्र से साशय कोई विशेष चोट लगी है।

आईपीसी की धारा 149 के आधार पर अपराध के समय गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी सदस्य द्वारा किये गये अपराध का दोषी है। यह धारा उस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किये गये गैर-कानूनी कृत्यों के लिए गैर-कानूनी सभा के सदस्यों की रचनात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक देनदारी बनाती है। धारा 149 के तहत रचनात्मक अपराध का आधार महज एक गैर-कानूनी सभा की सदस्यता है। धारा 149 के तहत एक मामले में यदि अभियुक्त गैर-कानूनी सभा की सदस्यता है। धारा 149 के तहत एक मामले में यदि अभियुक्त गैर-कानूनी सभा का सदस्य है जिसका सामान्य उद्देश्य एक निश्चित अपराध करना है और यदि वह अपराध उस सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो सदस्य होता है उस सभा का सदस्य होने के कारण वह उस आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही इस तथ्य

पर ध्यान दिये बिना कि उसने वास्तव मे वह कार्य किया है या नही। आईपीसी की धारा 149 को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध का कमीशन गैर-कानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा किया गया था और ऐसा अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया होगा या ऐसा होना चाहिए कि सभा के सदस्य सभा को पता था कि यह प्रतिबद्ध होने की संभावना है। जबतक अभियोजन पक्ष इन तीन तत्वों से संतुष्ट नहीं होता तब तक आरोपी को धारा की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अभियोजन द्वारा जो तथ्य सिद्ध किये गये हैं वे इस प्रकार हैं कि भरत पांडे के खेत में भरत पांडे, बीरेंद्र पांडे, कन्हैया पांडे के साथ रघुनाथ पांडे के बीच तीखी नोकझोंक होने पर रघुनाथ पांडे क्रोधित होकर घर चला गया और उसके तुरंत बाद (पीडब्लू 6 के अनुसार 3 मिनट के भीतर एक राइफल व अन्य आरोपी व्यक्ति के साथ जिनके पास बंदूकें और भाले भी थे, वापस लौट आये। खेत में प्रवेश करते ही, रघुनाथ पांडे ने कन्हैया पांडे पर गोलियां चला दीं और इसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार से दो बंदूक की गोली लग गई। न तो परशुराम पांडे और न ही बिश्राम पांडे ने कन्हैया पांडे तथा उसके पास भरत पांडे या बीरेंद्र पांडे पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया, उनको ऐसे किसी प्रकट कार्य या भूमिका के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया जिससे कन्हैया पांडे या पीडब्लू-5 और 6 को मारने या घायल करने के उनके

सामान्य उद्देश्य की ओर निश्चित इशारा किया जा सके। केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह हाथों में हथियार लेकर रघुनाथ पांडे के साथ गये थे, यह आवश्यक रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने कन्हैया पांडे को मारने के लिए रघुनाथ पांडे के साथ सामान्य उद्देश्य या इरादा साझा किया। अपराध स्थल पर उनका आचरण इस तरह के अनुमान को नकारात्मक बनाता है।

हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया एकमात्र तथ्य यह है कि उन्होंने अंधाध्ंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ग्रामीणों को साधारण चोटें आयी। यद्यपि ऐसी गोलीबारी का कारण स्पष्ट नहीं है, जितने कम समय के भीतर पूरी घटना घटी, उसे देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि तीनों अपीलकर्ताओं के साथ अन्य आरोपी रघुनाथ पांडे ने कन्हैया पांडे को खत्म करने के लिए सामान्य उद्देश्य को साझा किया है। तथ्य यह है कि खेत में प्रवेश करने के त्रन्त बाद रघुनाथ पांडे ने कन्हैया पांडे पर गोली चला दी, जबिक अन्य आरोपी जो बंदूक से लैस थे, उन्होने कन्हैया पांडे या उनके साथियों पर गोली नहीं चलाई जो कि यह इंगित करता है कि आरोपी व्यक्तियों परशुराम और बिश्राम पांडें ने कन्हैया पांडे की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य या आशय साझा नहीं किया था। क्योंकि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी बंद्कें चलाई जो कि कन्हैया पांडे या किसी अन्य व्यक्ति को लगने से चूक गई। इस प्रकार हमारे लिए यह मानना कठिन है जैसा कि विचारणीय कोर्ट और

हाईकोर्ट ने माना है कि आरोपी परशुराम, बिश्राम और सोमारू पांडे ने कन्हैया पांडे की हत्या का अपराध करने के सामान्य उद्देश्य से गैर-कानूनी सभा का गठन किया है। वास्तव में सोमारू पांडे के खिलाफ कोई सबूत नही है, सिवाय इसके कि उसने अपीलकर्ता/अभियुक्त रघुनाथ पांडे को कन्हैया पांडे पर गोली चलाने के लिए उकसाया था, जिस पर मामले की परिस्थितियों में विश्वास करना मुश्किल है। हालांकि पीडब्लू 5 और 6 ने बताया कि उसने और श्रद्धाराम ने उनपर भाले फेंके और उसके छड़ी वालें हिस्से से पीडब्लू 5 घायल हो गया, लेकिन कोई ऐसी चोट साबित नहीं हुई। पीडब्लू 5 ने डॉक्टर से जांच कराने से इन्कार कर दिया।

इस प्रकार आरोपी अपीलकर्ता परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे को धारा 302 भा.द.सं. सपठित धारा 149 भा.द.सं. के अपराध के आरोप और आजीवन कारावास से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी परशुराम और बिश्राम को ग्रामीणों को बंदूक की गोली से घायल करने के लिए धारा 307 के तहत भी 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

धारा 307 के तहत अपराध गठित करने के लिए अपराध के दो तत्व मौजूद होने चाहिए।

- 1. हत्या करने के संबंध में आशय या ज्ञान।
- 2. इसके अग्रसरण में कार्य करना।

धारा 307 के प्रयोजन के लिए इरादा या ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि

आशय को पूरा करने के उद्देश्य से किये गये वास्तविक कार्य का परिणाम। धारा स्पष्ट रूप से ऐसे कार्य पर विचार करती है, जो मृत्यु कारित करने के इरादे से किया जाता है, लेकिन जो हस्तेक्षप करने वाली परिस्थितियों के कारण इच्छित परिणाम लाने में विफल रहता है।

अभियुक्त का आशय या ज्ञान आवश्यक रूप से हत्या कारित करने का होना चाहिए। आशय या ज्ञान के अभाव में, जो कि धारा 307 का आवश्यक घटक है, हत्या के प्रयास का कोई अपराध नही हो सकता है। इरादा जो मन की एक अवस्था है, उसे सटीक प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है, एक तथ्य के रूप में इसे केवल अन्य कारकों से ही पता लगाया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ प्रासंगिक आधार हो सकते है, इस्तेमाल किये गये हथियार की प्रकृति, वह स्थान जहां चोटें पहुंची, चोटों की प्रकृति और वह परिस्थितियां जिनमें घटना घटी। रिकॉर्ड पर मौजूदा साक्ष्य से जहां अभियोजन पक्ष केवल यह साबित करने में सक्षम रहा है कि ग्रामीणों को अंधाधुंध गोलीबारी से चोटें आयी है और यह एक खुला क्षेत्र था और आसपास कोई भी घायल नही था। वहां इस तरह की चोटें पहुंचाने के आशय बावत साक्ष्य का पूरी तरह अभाव है, जिस पर आरोपी परशुराम और बिश्राम को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जा सकता था। ग्रामीणों को लगी चोटों की प्रकृति सामान्य है। किसी भी गवाह ने यह नही कहा है कि चोट पहुंचाने वाले आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किसी विशेष आरोपी द्वारा उन्हें चोट पहुंचाने

के लिए किया जा रहा था। दरअसल घायलों ने किसी भी आरोपी को आगनेयास्त्र का प्रयोग करते नहीं देखा है। उक्त दोनों आरोपियों ने कितनी दूरी से फायरिंग की इसका कोई साक्ष्य नही है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत एकमात्र सबूत यह है कि परशुराम और बिश्राम द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिससें ग्रामीणों को साधारण चोटें आई। घायल ग्रामीणों में केवल पीडब्लू 1 और डीडब्लू 1 ही परीक्षित हुए हैं। इस प्रकार यह साक्ष्य हत्या करने या उसके प्रति कोई कार्य करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के आशय या ज्ञान का गठन नहीं करता है। साक्ष्य केवल यह दर्शाते है कि ग्रामीणों को साधारण चोटें आई है। इन परिस्थितियों में हम आईपीसी की धारा 307 के तहत परशुराम और बिश्राम को दोषमुक्त करते है।

रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि ग्रामीणों को लगी चोटें परशुराम पांडे और बिश्राम पांडे द्वारा इस्तेमाल की गयी बंदूकों से अंधाधुंध गोलीबारी का परिणाम है। यह भी साबित हो गया है कि सोमारू पांडे के पास भाला था, जो उसने पीडब्लू 5 पर फेंका था, लेकिन इससे उसे कोई चोट नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि वीरेन्द्र पांडे के खेत में रघुनाथ पांडे और शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोंकझोंक के बाद आरोपी रघुनाथ पांडे अपने घर आया और कुछ ही मिनटों में राइफल के साथ अपने घर से निकल गया, यह देखकर कि रघुनाथ पांडे गुस्से में था, राइफल से लैस होकर खेत में वापस आ रहा था तब अभियुक्त/अपीलकर्ता परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे को कुछ खतरे की आशंका हुई

होगी और इस तरह वे उसके साथ खेत में आये। खेत मे पहुंचते ही रघुनाथ पांडे ने अपने पास मौजूद बंदूक से गोली चला दी। उसने चार गोलियां चलाईं, उनमें से 2 गोली मृतक कन्हैया पांडे को लगी और वह घटनास्थल पर ही खेत मेे गिर पड़ा। मृतक कन्हैया पांडे को गंभीर रूप से घायल अवस्था में खेत में गिरा देख तीनों आरोपियों को शिकायतकर्ता पक्ष और खेत के आसपास मौजूद अन्य ग्रामीणों की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका हुई और उन पर तथा रघुनाथ पांडे पर किसी भी हमले को रोकने के लिए, उनके द्वारा अपने पास मौजूद हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी गई होगी। इसी क्रम में सोमारू पांडे ने शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्य पर भाला भी फेंका, जिससे उन्हें कोई चोट नहीं आयी। तीनों आरोपियों की आम मंशा कन्हैया पांडे पर गोली चलाने के तुरंत बाद विकसित हुई, जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। शिकायतकर्ता-पक्ष और आस-पास मौजूद अन्य ग्रामीणों द्वारा प्रतिशोध में किये जाने वाले हमले को रोकने और उन्हें घटना स्थल और आरोपी व्यक्तियों की ओर जाने से रोकने के लिये, घटना स्थल पर अपराध किये जाते समय एकाएक सामान्य उद्देश्य विकसित हुआ। तीनों आरोपीयों का कृत्य गोली चलाने और भाला फेंकना उन सभी के समान आशय के अग्रसरण में किया गया था। जब खुले स्थान पर आग्नेयास्त्रों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, तो यह माना जा सकता है कि हमलावरों को पता था कि हथियार के ऐसे प्रयोग के परिणाम से व्यक्तियों को शारीरिक चोट

लगने की बहुत अधिक संभावना होगी और जब ऐसी चोटें व्यक्तियों को लगती हैं, तो यह किए गए हमले का वास्तविक परिणाम है और कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उस चोट के लिए दोषी होगा, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि क्या अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया हो कि कोई विशेष चोट किसी विशेष आरोपी व्यक्ति द्वारा पहुँचाई गई थी या नहीं। ग्रामीणों को आग्नेयास्त्र से पहुंचाई गई चोट, हालांकि साधारण प्रकृति की है, तीनों आरोपी व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पहुँचाई गई है। इसलिए, हम अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे को आईपीसी की धारा 324 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध के दोषी मानते हैं।

अभियुक्तां/अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा अंततः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी व्यक्तियों के बयान को बहुत ही सरसरी, आकस्मिक और लापरवाह तरीके से दर्ज किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि यह राज्य की अदालतों में अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। विचारणीय कोर्ट ने जिस तरह से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तगण के बयान दर्ज किये हैं वह विधि के अनुरूप नहीं है और इसलिए आरोपी-अपीलकर्ता लाभ के हकदार है क्योंकि उन्हें उनके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझाने के लिए पर्यास अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हमने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत

बयान और वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा तैयार किए गए प्रश्न का अध्ययन किया है और हम यह कह सकते हैं कि यह संतोषजनक नहीं है। इस अदालत ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि ट्रायल कोर्ट का यह दायित्व है कि वह आरोपी को इस प्रकार परीक्षित करे ताकि आरोपी अपने विरूद्ध साक्ष्य में दिखाई जाने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने में सक्षम हो सके। यदि ऐसा अवसर प्रदान नही किया जाता है, तो अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण साक्ष्य पर अभियुक्त की दोषसिद्धि के प्रयोजन से विश्वास नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करना अदालत के लिए अनिवार्य है ताकि अभियुक्तगण को अभियोजन द्वारा साबित की गई किसी भी संदिग्ध स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके। न्यायालय पर सौंपी गई जिम्मेदारी को हल्के में नही लिया जा सकता। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तगण के कथन दर्ज करना अदालत के लिये अनिवार्य है, ताकि अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोजन द्वारा साबित की गयी किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके। न्यायालय पर सौंपी गई जिम्मेदारी को हल्के में नही लिया जा सकता। हालांकि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान की अनुचित रिकॉर्डिंग के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई तर्क नही दिया गया है। वर्तमान मामले में आरोपी/अपीलकर्ता सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किये गये अनियमित, अपूर्ण बयान के कारण आरोपी/अपीलकर्ता पर होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह का उल्लेख नहीं कर सके। ऐसा होने पर, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने में हुई कमी के कारण आरोपी किसी भी लाभ के हकदार नहीं है।

उपरोक्त विवेचन व निष्कर्ष के परिणामस्वरूप अभियुक्त/अपीलकर्ता रघुनाथ की अपील खारिज कर दी जाती है और उसकी सजा बरकरार रखी जाती है। अभियुक्तगण/अपीलकर्ताओं परशुराम पांडे, बिश्राम पांडे और सोमारू पांडे की अपील स्वीकार की जाती हैं और धारा 302 सपठित धारा 149 आईपीसी और धारा 148 आईपीसी के तहत उनकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं परशुराम पांडे और बिश्राम पांडे की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आईपीसी की धारा 307 के तहत उनकी दोषसिद्धि और 5 साल की कठोर सजा को अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं परश्राम पांडे, बिश्राम पांडे व सोमारू पांडे को आईपीसी की धारा 324 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाता है और 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी जाती है। आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता परशुराम पांडे और बिश्राम पांडे की सजा बरकरार रखी जाती है।

ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सन्तोष कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।